

संख्या-271/एक-10-2026

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

ललितपुर, जालौन, खीरी, जौनपुर, एटा, लखनऊ, मैनपुरी, बलरामपुर, वाराणसी,
सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, श्रावस्ती एवं मीरजापुर।

राजस्व अनुभाग10-

लखनऊ: दिनांक: 24-03-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016- 4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं0-387/एक11-2021--4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 4,91,45,000.00 (रुपये चार करोड़ इक्यानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0	जनपद का नाम	मद-09	स्वीकृत धनराशि (रु0)
1	2	3	4
1	ललितपुर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	90,00,000.00

2	जालौन	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	85,00,000.00
3	खीरी	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	30,00,000.00
4	जौनपुर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	50,00,000.00
5	एटा	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	20,00,000.00
6	लखनऊ	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	45,00,000.00
7	मैनपुरी	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	35,00,000.00
8	बलरामपुर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	30,00,000.00
9	वाराणसी	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	37,45,000.00
10	सिद्धार्थनगर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	16,00,000.00
11	मुरादाबाद	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	8,00,000.00
12	श्रावस्ती	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	10,00,000.00
13	मीरजापुर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	35,00,000.00
योग			4,91,45,000.00
(रूपये चार करोड़ इक्यानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग /उपभोग/ समर्पण/ वितरण के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (11) मद-09 की उप मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि यथा आवश्यकतानुसार विभिन्न उप-मदों में भी व्यय/उपयोग की जा सकेगी। विगत वर्ष की भांति शासन के निर्देश के क्रम में इसका लेखा-जोखा भी उप मदवार रखा जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **₹ 4,91,45,000.00** (रुपये चार करोड़ इक्यानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में

अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 24-03-2026
20:29:10

(कुलदीप सिंह)

उप सचिव।

संख्या- 271(1)/एक10-2026-, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5 - विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Sushil Kumar
Date: 24-03-2026
18:23:51

(सुशील कुमार)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-25/03/2026

प्रेषण संख्या:- 271

आवंटन आदेश संख्या:- 001-271

अनुदान संख्या:-

लेखाशीर्षक:-

51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 13900000	3500000 13900000
2	एटा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 16500000	2000000 16500000
3	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 15155000	800000 15155000
4	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8500000 46000000	8500000 46000000
5	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3745000 37845000	3745000 37845000
6	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 58172900	3500000 58172900
7	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 69000000	5000000 69000000
8	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4500000 40700000	4500000 40700000
9	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 84818000	3000000 84818000
10	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 49513000	9000000 49513000
11	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 38295000	1600000 38295000
12	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 29613000	3000000 29613000
13	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 11500000	1000000 11500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	49145000 511011900	49145000 511011900

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ इकानवे लाख पैतालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्यावन करोड़ दस लाख ग्यारह हजार नौ सौ



(संतोष कुमार)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी